

Papers Laid on the Table by Ministers/Members

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

डॉ. वी.के. सिंह जी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3177(अ) जो 14 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एन.एच.-561ए के पंढारपुर-मंगलवैढा-मारवाडे-उमाडी खंड की पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 3178(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एन.एच.-160 के कुसुंबा से मालेगांव खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 3183(अ) जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एन.एच.-953 के सारड-वानी-पिंपलगांव खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 3270(अ) जो 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एन.एच.-75 (पुराना एन.एच.-234) के मंगलोर-तिरूवन्नामलाई की

पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

- (पांच) का.आ. 3271(अ) जो 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एन.एच.-347ए के तालेगांव से गोनापुर की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का.आ. 3272(अ) जो 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में एन.एच.-41 के कांडला से मुदरा खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (सात) का.आ. 3273(अ) जो 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एन.एच.-44 (पुराना एन.एच.-26) के ललितपुर-सागर-लाखनादोन खंड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) का.आ. 3275(अ) जो 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ईपीसी मोड में राजस्थान राज्य में पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे एन.ई.-4 की आठ लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (नौ) का.आ. 3276(अ) जो 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एन.एच.-709ए के मेरठ से हरियाणा/उ.प्र. सीमा खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT9959/17/23]

- (2) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) संशोधन नियम, 2023 जो 24 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 531(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) वायुयान (भवनों और वृक्षों आदि द्वारा कारित बाधाओं का उन्मूलन) (संशोधन) नियम, 2023 जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 291(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[Placed in Library, See No. LT9960 /17/23]

- (3) विमानवहन अधिनियम, 1972 की धारा 8क की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 3129(अ) जो 29 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निदेशित किया गया है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 4क की उप-धारा (1) और (4) तथा धारा 5 के उपबंध तथा विमानवहन अधिनियम, 1972 की तीसरी अनुसूची में अंतर्विष्ट नियम उसमें उल्लिखित अपवादों, अभिस्वीकरणों और उपांतरणों के अध्याधीन सभी विमानवहन पर लागू होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय विमानवहन नहीं होंगे, जैसा कि उक्त तीसरी अनुसूची में परिभाषित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।
- (दो) का.आ. 2159(अ) जो 21 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विमानवहन अधिनियम, 1972 की तीसरी अनुसूची में, उसमें उल्लिखित, कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) का.आ. 987(अ) जो 5 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विमानवहन अधिनियम, 1972 की तीसरी अनुसूची में, उसमें उल्लिखित, कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT9961 /17/23]

(5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (वाणिज्यिक) ? दक्षिण भारत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पथकर प्रचालनों के बारे में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (2023 का संख्यांक 7) (अनुपालन लेखापरीक्षा), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT9962 /17/23]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री कृष्ण पाल)** : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

:-

(एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बैलास्टेड एलईडी लैम्पों के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2023 जो 23 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएण्डएल/एलईडी/52/2023 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूब्यूलर फ्लोरेसेंट लैम्पों के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) (विनियम), 2023 जो 22 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएण्डएल/टीएफएल/22-23 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9963/17/23]

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (पहला संशोधन) विनियम, 2023, जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-1/261/2021/सीईआरसी. में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023, जो 12 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीईए-पीएस-16/1/2021-सीईआई प्रभाग में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विद्युत (दूसरा संशोधन) नियम, 2023, जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.558(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9964/17/23]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार ? भारतमाला परियोजना के चरण-एक के कार्यान्वयन के बारे में, सड़क

परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (2023 का संख्यांक 19) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

[Placed in Library, See No. LT9965 /17/23]

- (2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) ? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना ? उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के बारे में, नागर विमानन मंत्रालय (2023 का संख्यांक 22) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

[Placed in Library, See No. LT 9966/17/23]

- (3) मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार ? (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम-रक्षा मंत्रालय) (2023 का संख्यांक 18)।

[Placed in Library, See No. LT 9967/17/23]

- (4) वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार ? संघ सरकार के लेखा (2023 का संख्यांक 21) (वित्तीय लेखापरीक्षा)।

[Placed in Library, See No. LT 9968/17/23]

- (5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) ? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीआरडीओ में अवसंरचना और सुविधा परियोजनाओं के प्रबंधन के बारे में (2023 का संख्यांक 23) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

[Placed in Library, See No. LT9969 /17/23]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री रामेश्वर तेली)** : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम शोधनशालाओं और गैस प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए सुरक्षा

मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) विनियम, 2023 जो 29 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/टेक/8-टी4एसआरएंडजीपी(1)/2023 (पी-4247) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT9970 /17/23]

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT9971 /17/23]

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री कौशल किशोर**) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 27 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) दिल्ली नगर कला आयोग कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1986 जो 19 जुलाई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1(1)/76-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) दिल्ली नगर कला आयोग, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (भर्ती) (संशोधन) विनियम, 1989 जो 15 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 3(8)/86-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) दिल्ली नगर कला आयोग (अनुसचिवीय और अननुसचिवीय पद) भर्ती (संशोधन) विनियम, 1989 जो 15 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 3(8)/86-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) दिल्ली नगर कला आयोग सहायक सचिव (तकनीकी) भर्ती विनियम, 1991 जो 3 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 3(8)/90-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा के निबंधन और शर्तें) विनियम, 1993 जो 23 अक्टूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1(1)/87-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) दिल्ली नगर कला आयोग (अनुसचिवीय और अननुसचिवीय पद) भर्ती (संशोधन) विनियम 1993 जो 23 अक्टूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 3(8)/86-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा के निबंधन और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 1998 जो 14 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1(1)/87-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) दिल्ली नगर कला आयोग (सेवा के निबंधन और शर्तें) (संशोधन) विनियम 2013 जो 16 अगस्त, 2013 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. 1(1)/87-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) दिल्ली नगर कला आयोग कर्मचारी (समूह पेंशन योजना) विनियम 2020 जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. 9(2)/2019-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) दिल्ली नगर कला आयोग कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 2020 जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. 9(1)/2020-डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दस विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT9972 /17/23]

DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA (SURENDRANAGAR): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2021-2022.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT9973 /17/23]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Social Welfare Board, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Social Welfare Board, New Delhi, for the year 2021-2022.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT9974 /17/23]

(5) A copy of the National Commission for Homoeopathy (Submission of List of the Homoeopathy Practitioners) Amendment Rules, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.561(E) in Gazette of India dated 27th July, 2023 under

Section 56 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020.

[Placed in Library, See No. LT9975 /17/23]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi, for the year 2021-2022.
- (7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT9976 /17/23]
